रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272846
CG-DL-E-25052026-272846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948
No. 365]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

सा.का.नि. 406(अ).— केंद्र सरकार एतद् द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. उक्त आदेश के खंड 3 में, उप-खंड) 5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—:

"(5) कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जिसके पास घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन हो और तत्पश्चात जिसने पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्राप्त कर लिया हो, वह तत्काल प्रभाव से घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर का रिफिल प्राप्त नहीं करेगा तथा पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन

प्राप्त करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या तो एलपीजी कनेक्शन समाप्त करने हेतु आवेदन करेगा अथवा भविष्य में गैर-पीएनजी क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण वाउचर प्राप्त करेगा।"

[फा. सं. एम-13017(11)/3/2026-एलपीजी-पीएनजी]

रमेश कृष्णा, अवर सचिव

नोट – मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा..का.नि. 487(अ), दिनांक 26 अप्रैल,2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात उस में निम्नलिखित संशोधन किए गए:—

(1) सा.का.नि. 177(अ), दिनांक 6 मार्च, 2002;

(2) सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2007;

(3) सा.का.नि. 655(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2009;

(4) सा.का.नि. 452(अ), दिनांक 26 मई, 2010;

(5) सा.का.नि. 718(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2011;

(6) सा.का.नि. 647(अ), दिनांक 22 अगस्त, 2012;

(7) सा.का.नि. 791(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2012;

(8) सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013;

(9) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2014; तथा

(10) का.आ. 1333(अ), दिनांक 14 मार्च, 2026

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

G.S.R. 406(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely: —

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2026.

(*2*) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, in clause 3, for sub-clause (*5*), the following sub-clause shall be substituted, namely: —

"(5) A person or household having a domestic liquefied petroleum gas (LPG) connection and subsequently having obtained a piped natural gas (PNG) connection shall not forthwith take a refill of domestic liquefied petroleum gas (LPG) cylinder and shall also, within thirty days from the date of obtaining a PNG connection, either apply for termination of the LPG connection or take a transfer voucher for a future LPG connection in a non-PNG area."

[F. No. M-13017(11)/3/2026-LPG-PNG]

RAMESH KRISHNA, Under Secy.

Note. —The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*i*) *vid*e number G.S.R. 487(E), dated the 26th April, 2000 and was subsequently amended as follows: –

1. G.S.R. 177(E), dated the 6th March, 2002;
2. G.S.R. 730(E), dated the 22nd November, 2007;
3. G.S.R. 655(E), dated the 10th September, 2009;
4. G.S.R. 452(E), dated the 26th May, 2010;
5. G.S.R. 718(E), dated the 26th September, 2011;
6. G.S.R. 647(E), dated the 22nd August, 2012;
7. G.S.R. 791(E), dated the 25th October, 2012;
8. G.S.R. 781(E), dated the 16th December, 2013;
9. G.S.R. 721(E), dated the 14th October, 2014; and
10. S.O. 1333(E), dated the 14th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.25 18:11:02 +05'30'